सत्यमेव जयते

स्तुति कक्कड़
Stuti Kacker
अध्यक्ष
Chairperson

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
नई दिल्ली-110 001
New Delhi - 110 001

NCPCR

प्रस्तावना

भारत में बच्चों की संख्या कुल आबादी का 39 फीसदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 47.2 करोड़ है, जिसमें करीब 22.5 करोड़ लड़कियाँ है तथा 0–6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या करीब 16 करोड़ है।

2007 में सरकार द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि करीब 53 फीसदी बच्चे यौन शोषण का शिकार हुए, जिसमें से ज़्यादातर बच्चों का यौन शोषण उनके करीबी और विश्वास पात्र व्यक्तियों द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2016 में बच्चों के विरुद्ध 41.3 फीसदी अपराध बढ़ा है। बच्चे आसानी से यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संरक्षण हेतु ठोस एवं कारगर तरीके अपनाए जाएँ।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निगरानी की जिम्मेदारी सोंपी गई है। अतः आयोग ने पी.एल.डी. संस्था के साथ साझेदारी करते हुए इस पुस्तिका का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया है। इस पुस्तिका के जरिए कानून की क्रियान्विति से जुड़े व्यक्ति अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी उनके सशक्तीकरण और क्षमतावर्धन में मदद करेगी। इस पुस्तिका को प्रशिक्षण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

आयोग यौन अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के लिए जारी की गई इस किताब के लिए सुश्री मधु मेहरा, निदेशक, पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट (पी.एल.डी.) का धन्यवाद करता है और उनके प्रयास की सराहना करता है।

स्तुति कक्कड

(स्तुति कक्कड)
दिनांकः 14 दिसम्बर 2017